

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान रामप्रसाद बनाम आनन्दा

मुकदमा संख्या/वर्ष टी0आई0 51/2024


क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/1/25	<p>पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 209 रकबा 1.8970 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.6946 है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.1897 है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0632 है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.6440 है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.6323 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण प्लोटिंग करने एवं खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू-भाग से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण कर प्लोटिंग करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण, प्लोटिंग इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। बावजूद सम्यक तामील एवं समुचित अवसर उपरांत भी प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी हेतु कोई उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 45 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा बाबत् विभाजन के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू इंच में हिस्सा निहित होता है।</p>	



सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर प्रथम

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम श्योसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 218 रकबा 0.6323 है० (गै० मु० आबादी) को छोड़कर अन्य विवादित खसरा नम्बर 209 रकबा 1.8970 है०, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.6946 है०, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.1897 है०, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.0632 है०, खसरा नम्बर 217 रकबा 1.6440 है० पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 30/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

  
**जयपुर नगर प्रमुख**  
**जयपुर नगर प्रमुख**